



पत्रांक:- 2998 / सा0नि0अनु0/ई-नि0सू0/2025-26

दिनांक- 19-02-2026

"ई-निविदा सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर एवं विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगमों में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत टेकेदार/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा 15 वॉ वित्त/राज्य वित्त की अनुदान एवं अन्य मद की धनराशि के अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से सम्बन्धित समस्त जानकारी उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in एवं नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर दिनांक 21-02-2026 से अवलोकित की जा सकती है तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in से डाउनलोड व भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि (लाख में)
1.	नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में हॉटमिक्स कर सड़कों का निर्माण कार्य। (फेज-1)	494.68
2.	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा सड़क सर्फेसिंग का कार्य। (फेज-2)	485.90
3.	देवभूमि रजत जयंती के अन्तर्गत वार्ड नं०-3 ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर में सुभाष पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	159.24
4.	नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०-28 में स्थित सब्जी मण्डी में पूर्ण रूप से अस्थाई टीन शैड की स्थापना एवं सी० सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	48.19
5.	वार्ड नं० 38 स्थित राजकुमार खनिजों के होटल से रमेश कालड़ा के घर तक सड़क के दोनों तरफ नालों एवं विभिन्न पुलियों का निर्माण कार्य।	40.15
6.	Construction of Boundary Wall and Gate at Nagar Nigam Rudrapur.	94.14

(शिप्रा प्रोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(विकास शर्मा)
महापौर,
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपि:- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र असत उजाला / उत्तरांचल दर्पण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई-निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 20-02-2026 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(शिप्रा प्रोशी पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

“निर्माण कार्यों का विवरण, की-डेट्स, ई-निविदा हेतु शर्तें व नियम”

1. निर्माण कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, कार्य निष्पादन हेतु समयावधि आदि विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	कार्यों का नाम	आंगणन धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि लाख में	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.			निविदा की वैधता	कार्य अवधि	ठेकेदार श्रेणी
				मूल्य	जी.एस. टी.	कुल			
1.	नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में हॉटमिक्स कर सड़कों का निर्माण कार्य। (फेज-1)	494.68	9.90 लाख	5000.00	900.00	5900.00	90 दिवस	08 माह	“ए”
2.	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों पर हॉटमिक्स द्वारा सड़क सर्फसिंग का कार्य। (फेज-2)	485.90	9.72 लाख	5000.00	900.00	5900.00	90 दिवस	08 माह	“ए”
3.	वार्ड नं० 03 ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर सुभाष पार्क का सौन्दर्यीकरण कर देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण	159.24	3.19 लाख	5000.00	900.00	5900.00	90 दिवस	08 माह	“ए”
4.	नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं०-28 में स्थित सब्जी मण्डी में पूर्ण रूप से अस्थाई टीन शैड की स्थापना एवं सी० सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	48.19	0.97 लाख	3000.00	540.00	3540.00	90 दिवस	06 माह	सी एवं उच्चतर
5.	वार्ड नं० 38 स्थित राजकुमार खनिजो के होटल से रमेश कालड़ा के घर तक सड़क के दोनों तरफ नालों एवं विभिन्न पुलियों का निर्माण कार्य।	40.15	0.81 लाख	3000.00	540.00	3540.00	90 दिवस	06 माह	सी एवं उच्चतर
6.	Construction of Boundary Wall and Gate at Nagar Nigam Rudrapur.	94.14	1.89 लाख	4000.00	720.00	4720.00	90 दिवस	06 माह	“ए”

“की-डेट्स”

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1-	Date of online Publication	21.02.2026	11:00 AM
2-	Documents Download Start Date	21.02.2026	11:00 AM
3-	Bid Submission Start Date	21.02.2026	11:00 AM
4-	Bid Submission End Date	07.03.2026	05:00 PM
5-	Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	09.03.2026	01:00 PM
6-	Bid Opening Date	09.03.2026	03:00 PM

-: ऑफलाईन/ऑनलाईन तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची :-

(i)-निविदा मूल्य (जी०एस०टी० सहित) का मांग ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बनाया गया हुआ हो मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii)-धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैंक गारंटी मूलरूप में जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii)-मु० 100.00 रु० का स्व हस्ताक्षरित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (रसीदी टिकट सहित) मूल रूप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv)–निविदादाता को उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1, 2 व 3 में अंकित निर्माण कार्यों की निविदा में प्रतिभाग करने हेतु नगर निगम रूद्रपुर अथवा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निगमों में वर्ष 2025–26 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v)–उपरोक्त तालिका के क्रमांक 4, 5 व 6 में अंकित कार्यों हेतु नगर निगम रूद्रपुर में पंजीकृत टेकेंदार ही निविदा डालने के लिए पात्र होंगे तथा नगर निगम रूद्रपुर में पंजीकृत होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vi)–जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकरण जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii)–निविदादाता द्वारा निविदा हेतु प्रस्तुत समस्त प्रपत्रों की सत्यता हेतु 100.00 रू0 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी युक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(viii)–उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1, 2 व 3 में अंकित कार्यों हेतु निविदादाता को उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त विगत चार वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 में से किन्ही 03 (Continuing financial year) वित्तीय वर्षों का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वैलेंस–सीट प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ अलग अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ix)– उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1, 2 व 3 में अंकित कार्यों हेतु निविदादाता को विगत 05 वर्षों के निर्माण कार्यों का औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा की लागत का 50 प्रतिशत हो, प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ अलग अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(x)–उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1, 2 व 3 में अंकित कार्यों हेतु निविदादाता को उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त विगत 05 वर्षों में कम से कम समान (similar) प्रकृति के न्यूनतम एक कार्य का अनुभव, जिसकी मात्रा निविदा की आंकलित लागत का न्यूनतम 33 प्रतिशत (जी0एस0टी0 सहित) हो, स्व प्रमाणित कर प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को एक लिफाफे में सीलबन्द कर लिफाफे के बाहर सम्बन्धित कार्य की तकनीकी बिड अंकित करते हुए लिफाफा निविदा बाक्स में जमा करना आवश्यक होगा। स्टेपल पिन से बन्द किया गया लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं को की–डेट्स के अनुसार निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्राप्त ई–निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त एवं महापौर नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
3. निविदादाता को निर्धारित तिथि एवं समय तक समस्त ऑफलाईन व ऑनलाईन निविदा प्रपत्र अपलोड/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड (ऑनलाईन व ऑफलाईन) में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
6. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रस्तुत निविदा ही मान्य होंगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

7. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति उपरान्त मापांकन के पश्चात अवर अभियन्ता द्वारा कार्य संतोषजनक होने की संस्तुति पर अवमुक्त की जायेगी।
8. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
9. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
10. न्यूनतम निविदादाता को कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा विलम्ब की स्थिति में उसके विरुद्ध शासनादेशों के अनुक्रम में भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जाँच किसी मान्यता प्राप्त लैब (प्रयोगशाला) से कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जाँच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
13. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
14. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
15. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
16. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
17. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
18. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य की Defect Liability Period (01 वर्ष) के बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्कोरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।

Khurana

10

10

10

10

19. ठेकेदार/फर्म को कार्य का भुगतान धन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
 20. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ सुथरे रूप में विभाग को हस्तांतरित करना आवश्यक होगा।
 21. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
 22. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय से पूर्व समय वृद्धि हेतु परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
 23. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को आगामी 03 (तीन) वित्तीय वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
 24. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट-समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18/11/2019

18/11/2019

सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
(ऊधम सिंह नगर)

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
(ऊधम सिंह नगर)

महापौर
नगर निगम रुद्रपुर,
(ऊधम सिंह नगर)